

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

64AB 957258

वह बनरज स्टाम्प प्रेसर
रुपयोगी - २०२१ में अपनी पोषण प्रदान करने वाला है।
रुपयोगी के साथ सलग है + ५७७९०



उत्तर प्रदेश नियंत्रक बोर्ड
बाबू काशी शर्मा द्वारा दोषाद्वारा
बाबू काशी शर्मा, बाबू
14/12/2021



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

64AB 957259

व्यापार विभाग
राज्य राज्य-2 नम्बर 457360
प्रभाग
मुमाला

1

मुमाला
काम करना चाहता हूँ
62
14122

स्मृति पत्र

- | | |
|---------------------------|---|
| 1- संस्था का नाम | - तेजोदय शिक्षा प्रसार समिति, |
| 2- संस्था का पता | - एन0एच0-2, ग्राम महुअन, पोस्ट फरह तहसील व जिला-मथुरा |
| 3- संस्था का कार्यक्षेत्र | - उत्तर प्रदेश । |
| 4- संस्था के उद्देश्य | - संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :- |

1- संस्था का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार व प्रचार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह-जगह विद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र-छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक, साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना ।

2- संस्था का उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राईमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, एवं इंटरमीडियेट तथा आवश्यकतानुसार महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना कर कम्प्यूटर साप्टवेयर एवं हार्डवेयर तकनीकी शिक्षा तथा कम्प्यूटर एवं अन्य का ज्ञान निःशुल्क उपलब्ध कराना ।

3- संस्था का उद्देश्य निर्धन, अनाथ अपंग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व उनके छात्रवृत्ति की शुल्क समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीड़ा स्थल, व्यायामशाला की निःशुल्क व्यवस्था करना ।

4- संस्था का उद्देश्य हिन्दी भाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि प्रचलित भाषाओं एवं साहित्य विज्ञान टैक्नीकल तथा निःशुल्क प्रशिक्षण सम्बन्धी शिक्षा का निःशुल्क प्रबन्ध करना ।

5- संस्था का उद्देश्य बच्चों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाने हेतु उन्हें निःशुल्क शिक्षण-प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें आत्म निर्भर एवं योग्य नागरिक बनाना व राष्ट्र विकास में सहयोगकरना ।

6- कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित करना एवं सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त करना ।

7- संस्था का उद्देश्य समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, जनजागृति शिविरों, कला प्रदर्शनी का आयोजन करना तथा प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम बालश्रम, उन्मूलन, मध्यनिषेध कार्यक्रम चलाना ।

8- केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम बोर्ड सम्बन्धित विभागों के सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे-सिलाई कढाई, बुनाई, हस्तशिल्प कला, वास्तुकला, दस्तकारी, कालीन, झाइंग, पेटिंग कला प्रशिक्षण तथा टंकणआशुलिपि एवं कम्प्यूटर निःशुल्क देकर/दिलाकर उन्हें आत्म निर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदाकरना ।

9- महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृशिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण कार्यक्रमों, आदि को निःशुल्क चलाना व उनके कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं की उन्हें जानकारी देकर एवं समय-समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।

10- पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने एवं प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कराना एवं पौधशाला की स्थापना करना ।

11- समाज के अपेक्षित जैसे-अन्धे, कुष्ठ, रोगी व मुक बधिरों, विकलांगों व निराश्रित लाचार वृद्धजनों के कल्याण के लिये कार्य करना तथा बाल आश्रम अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की निःशुल्क स्थापना करना ।

12- "यह कि राज्य सरकार/भारत सरकार की विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/विश्व विद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों/उपाधियों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रमाणपत्रों को न प्रदान किया जायेगा और न ही ऐसे पाठ्यक्रम बिना राज्य सरकार/भारत सरकार की अनुमति के संचालित ही किये जायेंगे ।" उपरोक्त सभी उद्देश्य अलाभकारी हैं ।

लाल श्रीतिकामणि
लाल श्रीतिकामणि एवं चिट्ठा
लाल श्रीतिकामणि, जामुरा

141212

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम, पता, पद, व्यवसाय दिये गये हैं जिन्हें
कि संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है:-

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1-	श्री प्रताप सिंह	श्री हरदेवजी	रामनगर, बाजना, मथुरा	अध्यक्ष	कृषि
2-	श्री हरिओम सिंह	श्री विजेन्द्र सिंह	प्रताप नगर, मथुरा	उपाध्यक्ष	कृषि
3-	श्री राजपाल सिंह	श्री सोरन सिंह	ग्राम महान पोस्ट फरह, मथुरा	प्रबन्धक / सचिव	स०सेवा
4-	श्री रूपेश	श्री ओमप्रकाश	गढ़ी आधरे पोस्ट बाजना, मथुरा	उपप्रबन्धक / उपसचिव	कृषि
5-	अनीता	श्री रामदीर्घ सिंह	रामनगर, बाजना, मथुरा	कोषाध्यक्ष	स०सेविका
6-	श्री अनुज कुमार	स्व० श्री अशोक कुमार	34, अशोक नगर, आगरा	सदस्य	कृषि
7-	श्री दिलीप धौधरी	श्री रमेश धौधरी	नौगजा, अम्बाखार, मथुरा	सदस्य	कृषि

हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता ये घोषित करते हैं कि हम निम्न स्मृतिपत्र व संलग्न नियमावली के
अनुसार सोसाइटी 21 सन् 1860 के अंतर्गत इस समिति का गठन किया गया है।

अनुसार सोसाइटी 21 सन् 1860 के अंतर्गत इस समिति का गठन किया गया है।

दिनांक - 11-08-12

सातवां अधिविषय
उपप्रबन्धक
जनवै दोषादात्य एवं विद्वत्
बाजना ग्राम, आगरा
14/12/12

नियमावली

1. संस्था का नाम - तेजोदय शिक्षा प्रसार समिति,
2. संस्था का पता - एन०एच०-२, ग्राम महुअन, पोस्ट फरह तहसील व जिला-मथुरा
3. संस्था का कार्यक्षेत्र - उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य - संलग्न स्मृति पत्र के अंकितानुसार।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

1. संरक्षक सदस्य -

जो सज्जन इस संस्था को 1000/- रूपये या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा।

2. आजीवन सदस्य -

जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 500/- रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

3. साधारण सदस्य -

जो सज्जन इस संस्था को प्रति वर्ष 250/- रूपया देगा वह सज्जन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा।

4. विशिष्ट सदस्य -

ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हो व जो विद्वान होंगे सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एवं चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की संख्या 5 से अधिक न होगी।

6. सदस्यता की समाप्ति -

1. मृत्यु होने पागल या दिवालिया होने पर।
2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।
3. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर।
4. किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अधिक मतों से अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर।
5. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर।
6. न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
7. संस्था के अहित में कार्य करने पर।

..2 पर



तत्त्व प्रसिद्धिः

मृत्यु शोषणात् एव विद्व
शायद इन्हें, आयदा

14122

7. संस्था के अंग :- 1. साधारण सभा 2. प्रबन्धकारिणी समिति।

8. साधारण सभा - गठन -

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

बैठक -

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी।

सूचना अवधि -

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी।

गणपूर्ति - गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के $\frac{2}{3}$ बहुमत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

विशेष वार्षिक अधिवेशन संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के $\frac{2}{3}$ बहुमत से तय कर ली जावेगी।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य -

1. प्रबन्धकारिणी समिति का समयसमय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन $\frac{2}{3}$ बहुमत से करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति -

गठन - प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के $\frac{2}{3}$ बहुमत से सदस्यों को चुनकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक / सचिव एक उपप्रबन्धक / उपसचिव एक कोषाध्यक्ष, तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है। जो कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 15 होगी।

बैठक - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी।

सूचना अवधि - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जावेगी।

गणपूर्ति - गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के $\frac{2}{3}$ बहुमत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

रिक्त स्थान की पूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के $\frac{2}{3}$ बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिए कर ली जावेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :-

1. संस्था के उन्नति व विकास हेतु हर संभव प्रयास करना।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के $\frac{2}{3}$ बहुमत से करना।

साधारण सभा की बैठक
एवं विशेष बैठक
प्रबन्धकारिणी समिति

14/12/22

3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कराना।
4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों, एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा, एवं बेंक आदि से ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना। प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एवं चैरिटेबिल कार्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना।
5. कार्यकाल – प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा।

10. पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य -

1. अध्यक्ष -

- 1- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।
- 2- मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना।
- 3- संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम देखभाल करना।



प्रबन्धक / सचिव -

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना मीटिंग कार्यवाही लिखना।
2. संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार-प्रसार करना।
3. संस्था की अचल-चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान, अनुदान, चंदा व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा समस्त दस्तावेजों, ऋण, अनुदान चैकों, ड्राप्टों बंधक बिलेखों बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।।
4. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।
5. संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों / मे कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, एवं पदच्युत करना एवं उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।।
6. संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना।।

उपप्रबन्धक / उपसचिव:-

संस्था के प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थित में उनके द्वारा लिखित रूप में सोपे गये कार्यों को करना एवं उपस्थित में कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

संस्था प्राप्तिलिपि

कोषाध्यक्ष

- 1- संस्था के आय-व्यय विवरण को रखना।
- 2- प्रबन्धक/सचिव द्वारा सोपे गये कार्यों को करना।

संस्था प्राप्तिलिपि
एवं विद्वान्
संस्था का प्रबन्धक
आयरा

14122

11. संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया -
संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।

12. संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था -
संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मान्यता प्राप्त बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

13. संस्था का लेखा परीक्षण (आडीट) -
संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टर एकाउण्टेंट द्वारा किया जायेगा।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की उत्तरदायित्व - संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही प्रबन्धक/ सचिव अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

15. संस्था के अभिलेख -
1- सदस्यता रजिस्टर 2- कार्यवाही रजिस्टर 3- एजैण्डा रजिस्टर 4- स्टाक रजिस्टर
5- कैश बुक आदि।

16. संस्था के विघटन -
यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा०रजि०अधि० की धारा 13 व 14 के अंतर्गत की जावेगी।

दिनांक- 11-08-12-

सत्यप्रतिलिपि

लाल प्रतिलिपि

श्री शोभना एवं प्रवी चित्तु
मार्ग/वैष्णव, भारत
14/12/12

R.P.
Anita

b

Rupash